प्रेस नोट　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　दिनांक 26.08.2025

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा बरामद।

कार्यवाही की विवरणः- दिनांक 25.08.2025 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त प्रकाश उर्फ नेपाली पुत्र बीरबहादुर निवासी बी-18 ई डब्लू एस रामप्रस्था थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को रामपुरी रेलवे लाइन के पास से 01 अवैध तमंचा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त प्रकाश उर्फ नेपाली पुत्र बीरबहादुर उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त प्रकाश उर्फ नेपाली पुत्र बीरबहादुर उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त बरामद अवैध तमंचे का लाइसेंस दिखाने में कासिर रहा और बताया कि यह तमंचा दिल्ली से किसी नशा करने वाले व्यक्ति से खरीदा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

प्रकाश उर्फ नेपाली पुत्र बीरबहादुर निवासी बी-18 ई डब्लू एस रामप्रस्था थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 अवैध तमंचा बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त प्रकाश उर्फ नेपाली पुत्र बीरबहादुर उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा मारपीट कर शान्ति भंग करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25.08.25 को थाना मसूरी क्षेत्र ग्राम ढबारसी में दो पक्षों में आपस में उधार के पैसो के लेन देन को लेकर एक दूसरे के साथ लाठी डण्डे से मारपीट कर शान्ति व्यस्था भंग की गई जिसके सम्बंध में थाना मसूरी पुलिस द्वारा दोनो पक्षो के 1. शेरमोहम्मद उर्फ शेरु पुत्र गबरु उम्र करीब 50 वर्ष 2. असलम

पुत्र आसमोहम्मद उम्र 22 वर्ष 3. आसमोहम्मद पुत्र गबरु उम्र 55 वर्ष 4. फिरोज पुत्र आसमोहम्मद उम्र 33 वर्ष 5.आसमोहम्मद पुत्र फराकत उम्र 35 वर्ष 6. जाकिर पुत्र फराकत उम्र 33 वर्ष 7. फरियाद पुत्र फराकत उम्र 28 वर्ष 8. जावेद पुत्र राजु उम्र 22 वर्ष समस्त निवासीगण-मोहद्दीनपुर ढबारसी थाना मसूरी गाजियाबाद एवं 3 - 4 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरूद्ध थाना मसूरी पर धारा 191(2)/131/ 115(2) /352/ 351(3)/ 125/110 बीएनएस पंजीकृत किया गया । जिसमें कार्यवाही करते हुये घटना में सम्मलित 04 अभियुक्तगण 1.जाकिर पुत्र फराकत उम्र करीब 30 वर्ष 2. आसमौहम्मद उर्फ आशु पुत्र फराकत उम्र करीब 38 वर्ष 3. फरियाद पुत्र फराकत उम्र करीब 28 वर्ष 4. आसमौहम्मद पुत्र गबरु उम्र करीब 42 वर्ष निवासीगण ग्राम मोहद्दीनपुर ढबारसी थाना मसूरी गाजियाबाद को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ के दौरान दोनो पक्षो के अभियुक्तगण ने बताया कि हमारा उधार के पैसो के लेन-देन को लेकर आपस मे विवाद हो गया था

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. जाकिर पुत्र फराकत निवासी ग्राम ढबारसी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष
2. आसमौहम्मद उर्फ आशु पुत्र फराकत निवासी ग्राम ढबारसी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष
3. फरियाद पुत्र फराकत ग्राम ढबारसी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष
4. आसमौहम्मद पुत्र गबरु निवासी ग्राम ढबारसी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 26.08.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त आदिल मलिक उर्फ अण्डा पुत्र अजहर मलिक निवासी म0नं0 134 जवाहर पार्क शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष को आनन्द बिहार बोर्डर खण्डर बिल्डिंग के पास कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त आदिल मलिक उर्फ अण्डा पुत्र अजहर मलिक उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त आदिल मलिक उर्फ अण्डा पुत्र अजहर मलिक उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त व उसके अन्य साथियों द्वारा गिरोह बनाकर अवैध धन अर्जित करने के लिए लूट, स्नैचिंग (झपटमारी), चोरी जैसे संगीन अपराध कारित किये गये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आदिल मलिक उर्फ अण्डा पुत्र अजहर मलिक निवासी म0नं0 134 जवाहर पार्क शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त आदिल मलिक उर्फ अण्डा पुत्र अजहर मलिक उपरोक्त के विरुद्ध लूट, स्नैचिंग, चोरी, चोरी का माल बरामद होने व गैंगस्टर एक्ट के 08 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्ता व 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.05.2025 को थाना मुरादनगर पर नाबालिग वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्ता 1.गुन्नु 2. सीमा पत्नी मुकेश निवासी मनु विहार कॉलोनी थाना मुरादनगर गाजियाबाद 3. गुन्नु की सास व अभियुक्त 4. मुकेश निवासी मनुविहार कॉलोनी थाना मुरादनगर द्वारा वादिया को बहला फुसलाकर शादी कराने के उद्देश्य से ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर धारा 137(2)/87 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 26.08.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मैनअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1.मुकेश पुत्र स्वः राजपाल निवासी ग्राम पुर्सी थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 39 वर्ष व अभियुक्ता 2. सीमा पत्नी मुकेश निवासी ग्राम पुर्सी थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष 3. गुन्नू उर्फ परमजीत पत्नी धर्मेन्द्र निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम इस लडकी को बहला फुसलाकर शादी कराने के उद्देश्य से ले गये थे तथा इसकी शादी हमने अपनी रिस्तेदारी में करा दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ताओं का नाम व पता –

1.मुकेश पुत्र स्वः राजपाल निवासी ग्राम पुर्सी थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 39 वर्ष।

2. सीमा पत्नी मुकेश निवासी ग्राम पुर्सी थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष।

3. गुन्नू उर्फ परमजीत पत्नी धर्मेन्द्र निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा बिक्री के लिए रखे कुल 17 कार्टून डिब्बे अवैध आतिशबाजी पटाखे बरामद।

दिनांक 25.08.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा अवैध पटाखों को बिक्री के लिए संग्रहित करने वाले अभियुक्त राजेश भारती पुत्र सुदीन शाह निवासी बुद्ध बाजार निकट हनुमान चौक चमन विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष को चमन विहार थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से कुल 17 कार्टून के डिब्बों में मिश्रित पटाखे बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना अंकुर विहार पर धारा 125/287 बीएनएस व 5/9B(1)(b) विस्फोटक अधिनियम-1884 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि यह अवैध पटाखें मैने दीपावली पर बिक्री के लिये एकत्रित कर रखे थे जिससे मैं इस पटाखों को अधिक दामों पर लोगो को बेचकर मुनाफा कमा सकूं परन्तु उससे पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

राजेश भारती पुत्र सुदीन शाह निवासी बुद्ध बाजार निकट हनुमान चौक चमन विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से कुल 17 कार्टून के डिब्बों में मिश्रित पटाखे बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 26.08.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. रोहित पुत्र सुरेन्द्र गुप्ता निवासी किरायेदार इलायचीपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल पता ग्राम रगड़गंज थाना रायगढ़ गंज जिला गोंडा यूपी उम्र करीब 31 वर्ष 2. शहजाद पुत्र मौहम्मद इस्लाम निवासी न्याय विहार नसीब विहार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को चौकी क्षेत्र सिग्नेचर सिटी से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 317(2),317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह मोटरसाइकिल हमने दिल्ली से चोरी की थी जिसे आज हम बेचने की फिराक में जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. रोहित पुत्र सुरेन्द्र गुप्ता निवासी किरायेदार इलायचीपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल पता ग्राम रगड़गंज थाना रायगढ़ गंज जिला गोंडा यूपी उम्र करीब 31 वर्ष।
2. शहजाद पुत्र मौहम्मद इस्लाम निवासी न्याय विहार नसीब विहार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

दिल्ली में उपरोक्त मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना ट्रोनिका सिटी उपरोक्त बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा चोरी/लूट करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल व छीनी गयी चैन को गलाकर बनाया गया सोने का टुकडा बरामद।

आज दिनांक 26.08.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1. सिद्धार्थ उर्फ मोनू पुत्र कमल सिंह निवासी गली न0-05 अंबेडकर बस्ती मौजपुर दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष 2.अभिषेक उर्फ सोंन्टा पुत्र राजकुमार निवासी सी-65 गली न0-02 अर्जुन मौहल्ला मौजपुर दिल्ली उम्र करीब 27 वर्ष को संतनगर बिजलीघर, डीएलएफ थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल व थाना साहिबाबाद क्षेत्र से एक व्यक्ति के गले से छीनी गयी सोने की चैन को गलाकर बनाया गया सोने का टुकडा बरामद हुआ । उक्त आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर धारा 317(2)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम दोनों ने मिलकर दिनांक 19.08.2025 को रात्रि के समय डी-ब्लाक डीएलएफ अंकुर विहार से एक KTM DUKE-200 नारंगी रंग की मोटरसाइकिल चोरी की थी जिसे लेकर पहले हम दिल्ली गए थे तथा बाद में हमने उस मोटरसाइकिल का प्रयोग करके दिनांक 20.08.2025 की सुबह करीब 10-11 बजे के आस पास जिला सहकारी बैक चौराहा साहिबावाद गाजियाबाद रोड पर घूम रहे एक व्यक्ति से उसके गले की चैन झपट ली थी और उस छीनी गयी चैन को गलाकर यह सोने का टुकडा बना लिया था क्योंकि गली हुई धातु के टुकडे को सुनार जल्दी खरीद लेता है। जो KTM DUKE मोटरसाइकिल हमने डी-ब्लाक अंकुर विहार से चोरी की थी साहिबाबाद की घटना के बाद हमने उस मोटरसाइकिल को अपने घर से कुछ दूरी पर गली में खडा कर दिया था बाद में जो हमें वहां नहीं मिली। जो मोटरसाइकिल हमसे बरामद हुई है यह हमने कुछ दिन पहले ही दिल्ली से चोरी की थी। हम लोग मिलकर दिल्ली और यू0पी0 में अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिल/वाहन चोरी कर लेते हैं और उन्ही चोरी की मोटरसाइकिल/वाहनों का प्रयोग करके अन्य घटना कारित करते हैं। आज भी हम लोग इस चोरी की मोटरसाइकिल से किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये। हम पूर्व में चोरी,लूट,छिनैती आदि के अभियोगों में जेल भी जा चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. सिद्धार्थ उर्फ मोनू पुत्र कमल सिंह निवासी गली न0-05 अंबेडकर बस्ती मौजपुर दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष।

2.अभिषेक उर्फ सोंन्टा पुत्र राजकुमार निवासी सी-65 गली न0-02 अर्जुन मौहल्ला मौजपुर दिल्ली उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल व थाना साहिबाबाद क्षेत्र से एक व्यक्ति के गले से छीनी गयी सोने की चैन को गलाकर बनाया गया सोने का टुकडा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त सिद्धार्थ उर्फ मोनू के विरुद्ध थाना अंकुर विहार चोरी व बरामदगी के 02 अभियोग, थाना साहिबाबाद पर छिनैती का 01 अभियोग तथा दिल्ली में चोरी, बरामदगी व लूट के लगभग 46 अभियोग पंजीकृत है। **(कुल अभियोग- 49)** । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
अभियुक्त अभिषेक उर्फ सोन्टा उपरोक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार चोरी व बरामदगी के 02 अभियोग, थाना साहिबाबाद पर छिनैती व चोरी के 02 अभियोग, थाना इन्द्रापुरम पर लूट का 01 अभियोग तथा दिल्ली मे चोरी, बरामदगी व लूट के लगभग 55 अभियोग पंजीकृत हैं। **(कुल अभियोग- 60)** । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

साईबर सैल थाना विजयनगर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 7600/- रु0 की धनराशि वापस करायी गयी।

आज दिनांक 26.08.2025 को साईबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक श्री क्रिश कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार नि0 सी0 49 पंचकुला कॉलोनी थाना विजयनगर गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल धनराशि 7600/- रू० वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण

साईबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सैल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से दिनांक 21.07.2025 को आवेदक श्री क्रिश कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार नि0 सी0 49 पंचकुला कॉलोनी थाना विजयनगर गाजियाबाद के साथ 7600/- रू० की साइबर ठगी से सम्बंधित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई आनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 26.08.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना विजयनगर पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सैल थाना विजयनगर

सहायक पुलिस आयुक्त वेवसिटी द्वारा थानाध्यक्ष क्रॉसिंग रिपब्लिक व पुलिस टीम के साथ भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी (एनजीओ) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में क्षय (टीबी) रोग से पीड़ित व्यक्तियों को जागरूक कर पोषण पोटली वितरित की गई।

आज दिनांक 26.08.2025 को सहायक पुलिस आयुक्त वेवसिटी द्वारा थानाध्यक्ष क्रॉसिंग रिपब्लिक व पुलिस टीम के साथ भारतीय रेडक्रास सोसायटी गाजियाबाद (एनजीओ) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में क्षय रोगियों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी गाजियाबाद (एनजीओ) द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त वेवसिटी को चीफ गेस्ट के रुप में आमन्त्रित किया गया। सहायक पुलिस आयुक्त वेवसिटी द्वारा क्षय रोगियों को उनके जीवन शैली में बदलाव लाने की बात पर बल देते हुए बताया कि वे अपने खान-पान पर विशेष ध्यान दें तथा डाक्टर द्वारा दी गयी दवाईयों का नियमित रुप से सेवन करते रहे तथा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न थूके जैसी काफी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई। उक्त आयोजन में करीब 50 क्षय रोगियों सहित 200 व्यक्तियों द्वारा भाग लिया गया। कार्यक्रम के दौरान क्षय रोगियों को पोषण पोटली वितरित की गई, उक्त पोषण पोटली मे मूंगफली, काला चना, भुना चना, दलिया, सोयाबीन, मुरमुरे, सेनेन्ट्री नैपकिन की उपलब्धता रखी गई, जो रोगियों को हर माह 6 महीने तक वितरित की जायेगी ।

भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी गाजियाबाद एक अन्तर्राष्ट्रीय एनजीओ है, इस एनजीओ की अध्यक्ष महामहिम राष्ट्रपति है। इस एनजीओ द्वारा लोक कल्याणकारी कार्यो मे महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जा रही है। इसी क्रम में आज उक्त कार्यक्रम को आयोजित करके टीबी रोगियों को लाभान्वित किया गया है तथा उक्त एनजीओ द्वारा महीने में इस तरह के करीब 8 – 10 आयोजन किये जाते है, जिसमे अब तक करीब 5000 रोगी लाभान्वित हुए है।

उल्लेखनीय है कि भारत मे क्षय रोग (टीबी) एक जानलेवा बीमारी के रुप में फैला है, जिसे सरकार के सतत प्रयासों से काफी हद तक नियन्त्रित किया जा चुका है फिर भी इस रोग को समूल समाप्त किये जाने हेतु जन सामान्य में इस रोग के नियन्त्रण हेतु समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाये जाने के उद्देश्य से इस प्रकार के कार्यक्रम की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिससे निश्चित रुप से इस रोग से ग्रसित लोग एवं जन सामान्य लाभान्वित होंगे।

सहायक पुलिस आयुक्त वेवसिटी, थाना प्रभारी वेवसिटी व पुलिस टीम द्वारा थाना वेवसिटी क्षेत्रान्तर्गत स्थित रॉयल कॉलेज आफ लॉ के ऑडिटोरियम में एक विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं नागरिकों को जागरूक करने हेतु साइबर जागरूकता अभियान सतत रूप से संचालित किया जा रहा है । इसी क्रम में आज दिनांक 26.08.2025 को श्रीमती प्रियाश्री पाल, सहायक पुलिस आयुक्त वेवसिटी, थाना प्रभारी वेवसिटी व पुलिस टीम द्वारा थाना वेवसिटी क्षेत्रान्तर्गत स्थित रॉयल कॉलेज आफ लॉ के ऑडिटोरियम में एक विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के चेयरमैन श्री विजय अग्रवाल, प्रिंसिपल डॉक्टर टीना गर्ग, छात्र-छात्राएं व अन्य गण मान्य लोग उपस्थित रहे। जिसमें आधुनिक साइबर अपराधों की पहचान करने, संभावित खतरों से स्वयं को सुरक्षित रखने तथा साइबर सुरक्षा के प्रति समाज में जागरूकता का प्रसार करने हेतू जागरूक किया

गया। उक्त कार्यक्रम में शिक्षार्थियों, शिक्षकों एवं अन्य नागरिकों को बताया गया कि किसी भी संदिग्ध साइबर गतिविधि या ऑनलाइन ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।

साईबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 30000/- की धनराशि पीड़ित को वापस करायी गई।

आज दिनांक 26.08.2025 को साईबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक श्री शिवम शर्मा नि0 सर्वोदयनगर थाना विजयनगर गाजियाबाद मो०नं० 8178347935 के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 30000/- रू० वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण-

साईबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से दिनांक 15.09.2024 को श्री शिवम शर्मा नि0 सर्वोदयनगर थाना विजयनगर गाजियाबाद के साथ 30000/- रू० की साइबर ठगी से सम्बंधित शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई आनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया। अथक प्रयासों के बाद दिनांक 26.08.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना विजयनगर पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल थाना विजयनगर

जीवन रक्षक (Basic life support) एवं शारीरिक संतुलन व्यायाम (Ergonomic Exercises) कार्यक्रम के अंतर्गत ट्रांस हिंडन जोन के पुलिस कर्मियों को शारीरिक देखभाल व प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण।

पुलिस आयुक्त गाजियाबाद महोदय के निर्देशन में सड़क, आग व करंट जैसी दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने तथा दुर्घटना में घायल को शीघ्र व प्रभावी राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से और साथ ही पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करने के उद्देश्य से आज थाना खोड़ा गाजियाबाद स्थित सेमिनार हॉल में एनआईएसी प्राइवेट लिमिटेड की विशेषज्ञ टीम द्वारा जीवन रक्षक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) एक ऐसी तकनीक है जो जीवन को बचाने में मदद करती है। जब किसी व्यक्ति को दिल का दौरा, श्वसन विफलता या अन्य आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़ता है। बीएलएस में शामिल हैं:-

बीएलएस के मुख्य घटक:-

- कार्डियक अरेस्ट की पहचान: दिल का दौरा पड़ने पर व्यक्ति की पहचान करना और तुरंत कार्यवाही करना।
- 2 सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन): व्यक्ति को सीपीआर देना, जिसमें छाती को दबाना और सांस देना शामिल है।

बीएलएस के लाभ:-

- जीवन बचाने में मदद करता है।
- दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत कार्यवाही करने में मदद करता है।
- श्वसन विफलता के मामलों में मदद करता है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम, द्वारा किया गया। जिसमें समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष व चौकी प्रभारी ने प्रशिक्षण प्राप्त किया प्रशिक्षण के दौरान एनआईएसी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉ नीरज मिश्रा एवं उनकी विशेषज्ञ टीम ने बताया की सीपीआर एक आपातकालीन स्थिति में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को धड़कन या सांस रुक जाने पर प्रयोग की जाती है सीपीआर में बेहोश व्यक्ति को सांसें दी जाती हैं। जिससे फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलता है और सांस वापस आने तक या दिल की धड़कन सामान्य होने तक छाती को दबाया जाता है, इससे शरीर में पहले से मौजूद ऑक्सीजन वाला खून संचारित होता रहता है हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट डूबने दम घुटने और करंट लगने जैसी स्थितियों में सीपीआर की आवश्यकता हो सकती है अगर व्यक्ति को सांस या धड़कन रुक गई है तो जल्द से जल्द उसे सीपीआर दें क्योंकि पर्याप्त ऑक्सीजन के बिना शरीर की कोशिकाएं बहुत जल्द खत्म होने लगते हैं। मस्तिष्क की कोशिकाएं कुछ ही मिनट में खत्म होने लगते हैं इसे गंभीर नुकसान या मौत भी हो सकती है। अध्ययनों में पता चलता है कि अगर अधिक लोगों को सीपीआर देना आ जाए तो कई जान बचाई जा सकती हैं। डॉ वरुण खन्ना द्वारा प्रशिक्षण के समय गोल्डन आवर प्रथम घंटे के महत्व को विस्तार से समझाया और साथ ही सीपीआर की सही विधि का व्यावहारिक अभ्यास भी कराया।

उल्लेखनीय है कि भारत में होने वाली दुर्घटनाओं जैसे की सड़क और आग, करेंट जैसी दुर्घटनाओं में अधिकांशत मृत्यु समय पर प्राथमिक उपचार न मिलने के कारण होती है यहां यह भी स्पष्ट है कि पुलिस की किसी भी घटना घटित होने की दशा में First Response सबसे पहले पहुंचती है ऐसे में आवश्यक है कि सभी पुलिसकर्मी सीपीआर के संबंध में जागरूक एवं प्रशिक्षित हो पुलिस कर्मियों को सीपीआर एवं प्राथमिक उपचार की विधियों का प्रशिक्षण दिए जाने से दुर्घटना पीड़ितों की जीवन रक्षा की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं।

एर्गोनोमिक प्रशिक्षण में स्ट्रेचिंग और स्ट्रेचिंग अभ्यासः-

- पुलिसकर्मियों 24×7 लगातार कार्य करते रहने की स्थिति में शारीरिक देखभाल कैसे करें।
- पुलिस कर्मियों के लिए कार्यशाला में अपने कार्य के साथ-साथ शरीर की देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। डॉ. मोहित कुमार ने बताया कि समय-समय पर मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना और हल्का व्यायाम करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। सुबह के समय सैर करना भी तनाव को कम करने में मदद कर सकता है।
- डॉ. नमित वार्ष्णेय और डॉ. गुरचरण ने कमर दर्द, गर्दन दर्द और घुटने के दर्द में कौन-कौन से व्यायाम कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि नियमित व्यायाम और स्ट्रेचिंग से इन समस्याओं को कम किया जा सकता है।
- एर्गोनोमिक प्रशिक्षण में स्ट्रेचिंग और स्ट्रेचिंग अभ्यास शामिल होते हैं, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने, रक्त संचार को बेहतर बनाने और चोटों को रोकने में मदद करते हैं। इसमें डेस्क पर किए जाने वाले स्ट्रेचिंग अभ्यास शामिल हैं जैसे कि कंधों और गर्दन को हल्का खींचना और सही मुद्रा बनाए रखना, जैसे कि कुर्सी पर सीधा बैठना और मेज को सही ऊंचाई पर रखना। इसके अलावा, उठने-बैठने या बार-बार उठने और झुकने जैसे काम करते समय सही तकनीक का इस्तेमाल करना एर्गोनोमिक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

एर्गोनोमिक प्रशिक्षण व्यायामः-

<u>खिंचाव (Stretching):-</u>

- **कंधों के लिए:-** कंधे की अकड़न और दर्द को कम करने के लिए एक भुजा को धीरे-धीरे एक तरफ से दूसरी तरफ झुलाएं, जैसे आप किसी बच्चे को झुला रहे हों। यह अभ्यास 20 बार दोहराएं।
- **सिर के लिए:-** अपने हाथ से सिर को धीरे-धीरे कंधे की ओर खींचें, गहरी सांस लेते हुए और झटका देने से बचें। यह गर्दन के दर्द और तनाव को कम करने में मदद करता है।
- **नियमित स्ट्रेचिंग:-** रोजाना स्ट्रेचिंग करने से मांसपेशियों की थकान कम होती है, चोट लगने का खतरा कम होता है, और जोड़ों की गतिशीलता बढ़ती है।

<u>सही बैठने की मुद्रा:-</u>

- अपनी पीठ के निचले हिस्से और ग्लूट्स को कुर्सी के पिछले हिस्से से सटाकर रखें।

- कुर्सी को टेबल के पास रखें ताकि आपको आगे झुकने की ज़रूरत न पड़े।
- आपकी जांघ और पैर मेज के सापेक्ष लगभग 90 डिग्री के कोण पर होने चाहिए।

नियमित ब्रेक:-

- लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठकर काम करने से बचें।
- हर घंटे कम से कम कुछ मिनट का ब्रेक लें, जिससे आप स्ट्रेच कर सकें और अपनी मांसपेशियों को आराम दे सकें।
- वस्तुओं को सही तरीके से उठाना वस्तुओं को उठाते समय अपनी पीठ को सीधा रखें और घुटनों को मोड़ें। वस्तुओं को शरीर के पास रखें और उठाने के लिए उपकरणों का उपयोग करें, खासकर भारी वस्तुओं को उठाने से बचें।

इस अवसर पर **सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम एवं थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष एवं चौकी प्रभारी एवं** एनआईएसी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉ नीरज मिश्रा, डॉ वरुण खन्ना, द इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथैरेपिस्ट गाजियाबाद शाखा के प्रेसिडेंट डॉ गुरुचरण, सचिव डॉ नमित वार्ष्णेय वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉ मोहित कुमार एवं हरिओम गुप्ता मोहन दास संजीव वर्मा विकल कुलश्रेष्ठ एवं प्रशिक्षक टीम सहित पुलिस के अधिकारीगण उपस्थित रहे ।